आदेश क्र0 क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

24-07-2020

न्यायालय :– उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा।

नामांतरण वाद सं0– 19/2010–11

गोपाल मिश्र– अपीलकर्ता

बनाम

दुष्यन्त कुमार मिश्र– बिपक्षी

आदेश

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नामांतरण वाद संख्या– 19/2010–11 की सुनवाई आवेदक गोपाल मिश्र वल्द स्व0 लालदेव मिश्र ग्राम अकलवानी, पो0– लगमा, थाना– मेराल के द्वारा अंचलाधिकारी, मेराल के नामांतरण वाद संख्या– 87/1997–98 में दिनांक– 08.07.1997 को पारित आदेश के विरूद्व अपील दर्ज किया है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दर्ज की गई अपील आवेदन में वर्णन किया गया है कि खाता संख्या– 29 के प्लॉट संख्या– 887, रकबा– 0.21 एकड़ भूमि कुल रकबा– 0.45 एकड़ भूमि क्रय किया गया जिसमें विक्रेता के द्वारा गलत चौहदी अंकित कराने के कारण उक्त भूमि का नामांतरण दुष्यन्त कुमार मिश्र पिता केदार नाथ मिश्र ग्राम– अकलवानी के नाम से हो गया है, जिसे निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर अलग–अलग तिथियो में सुनवाई की गई दिनांक 31.07.2020 को द्वितीय पक्ष के द्वारा उपस्थित होकर मौखिक एवं लिखित बयान दिया गया है की उनके द्वारा ग्राम– अकलवानी, पो0– लगमा के खाता संख्या– 29, खेसरा संख्या– 887, रकबा– 0.21 एकड़ भूमि का क्रय हरिवंश मिश्र ग्राम अकलवानी से क्रय किया गया, जिसमें विक्रेता हरिवंश मिश्र के द्वारा द्वितीय पक्ष के केवाला में खाता संख्या– 887 गलत अंकित कर दिया और चौहदी सही लिखा द्वितीय पक्ष को भूमि बेचने के बाद विपक्षी के अपने सगे छोट चाचा श्री गोपाल मिश्र को पुनः प्लॉट संख्या– 887 एवं सही चौहदी अंकित कर भूमि विक्री किया गया जिसमें विपक्षी के द्वारा भूमि क्रय किया गया। विपक्षी के द्वारा लिखित पक्ष में भी स्वीकार किया गया की प्रथम पक्ष का प्लॉट एवं चौहदी सही है तथा प्रथम पक्ष का ही भूमि पर कब्जा है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा उपस्थित होकर दिये गए बयान एवं उपलब्ध कागजातो के अवलोकण से स्पष्ट होता है कि विषय वस्तु वाली भूमि का क्रय उभय पक्षो के द्वारा एक ही विक्रेता (हरिवंश मिश्र) से की गई जिसमें प्रथम पक्ष को अंकित खाता प्लॉट के अनुसार भूमि प्राप्त है तथा कब्जा भी है, जिसे द्वितीय पक्ष के द्वारा स्वीकार भी किया गया है।

अतः अंचलाधिकारी, मेराल के अपील वाद संख्या– 87/1997–98 को अपास्त किया जाता है। आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, मेराल को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

24.7.2020

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

24.7.2020

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

Scanned with CamScanner